जावीद अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
Director Genral of Police
Uttar Pradesh

1- तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजी परिपत्र सं०: 25/2016

दिनांक : 8-5-2016

प्रिय महोदय,

समाज में मोटर वाहनों की बहुत तेजी से बढ़ती संख्या की वजह से प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एक बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को तत्काल उचित प्राथमिक चिकित्सा तथा चिकित्सीय सहायता नहीं उपलब्ध हो पाती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख, ब्यूरो के ऑकड़ों के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से लगभग साढ़े चार गुणा अधिक है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु समाज के लिये कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। साथ ही यह भी पाया गया है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली अधिकांश मौतें दुर्घटना के तुरन्त बाद शीघ्र चिकित्सीय सहायता, खास तौर से पहले ही घण्टे में, न मिल पाने के कारण होती है। दुर्घटना होने के तुरन्त बाद के इस महत्वपूर्ण पहले एक घण्टे को "Golden Hour" कहते हैं।

अवगत कराना है कि तमिलनाडु राज्य के सलेम जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक, वेलफेयर, श्री के0सी0 महाली ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिये "Golden Hour Trauma Care" प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट की व्यापक सफलता के बाद नेशनल पुलिस मिशन के माइक्रो मिशन: 3 के अध्यक्ष श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के नेतृत्व में "Golden Hour Trauma Care" की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है, ताकि उसे पूरे भारत में लागू किया जा सके। प्रस्तुत परिपत्र उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये "Golden Hour Trauma Care" प्रोजेक्ट का संशोधित रूप प्रस्तुत कर रहा है। **सभी जनपद उपरोक्त प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।**

"गोल्डेन आवर ट्रामा केयर प्रोजेक्ट"

उद्देश्य -

(i) सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित प्राथमिक उपचार (First Aid) तथा चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि 'गोल्डेन आवर' में ही अधिक से अधिक पीड़ितों की जीवन रक्षा की जा सके।

(ii) पब्लिक-पुलिस-पार्टनरशिप (PPP) माडल पर सड़क दुर्घटना के पीडितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना।

(iii) पुलिस की छवि सुधारना।

(iv) आम जनता में जिम्मेदार नागरिक होने का भाव पैदा करना।

प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन-

(i) जनपद पुलिस द्वारा दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (Accident Black Spots) का चिन्हीकरण कर लिया जाय। प्रत्येक दुर्घटना बाहुल्य स्थल के निर्धारण में कम से कम पिछले एक वर्ष के सड़क दुर्घटना सम्बन्धी ऑकड़ों का विश्लेषण करके दुर्घटना के कारणों को अवश्य जाना जाय। इसके आधार पर दुर्घटना बाहुल्य स्थलों को थानावार/सर्किलवार बॉट दिया जाय।

----------2

(ii) सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, प्राइवेट एम्बुलेन्स ओनर, आटो ड्राइवर एसोसियशन, टैक्सी ड्राइवर एसोसियशन तथा जागरूक नागरिकों से समन्वय स्थापित करके उनको इस बात के लिये प्रेरित किया जाये कि सड़क दुर्घटना होने पर वे घायलों को दुर्घटना स्थल से नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिये अपने वाहनों जैसे एम्बुलेन्स, टैक्सी, आटो, आदि का नि:शुल्क प्रयोग करेंगे।

(iii) यह प्रोजेक्ट जन सहभागिता पर आधारित है, जिसके मूल विचार यह है कि आम जन एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं और सामुदायिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं, शर्त केवल यह है कि उनको ठीक प्रकार से प्रेरित और संगठित किया जाय। इसके लिये स्थानीय पुलिस को नेतृत्व ग्रहण करके उपलब्ध संसाधनों का नियंत्रण और समन्वय करके सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल "गोल्डेन आवर ट्रामा केयर" उपलब्ध कराये जाने का दायित्व लेना होगा।

(iv) इस प्रोजेक्ट में पुलिस कण्ट्रोल रूम का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस कण्ट्रोल रूम तत्काल घटना स्थल के नजदीकी एम्बुलेन्स या उपलब्ध किसी अन्य वाहन को घटना स्थल पर पहुँच कर घायलों को तत्काल निकटतम अस्पताल या चिकित्सा केन्द्र ले जाने के लिये निर्देशित करेगा और निरन्तर सम्बन्धित वाहन से सम्पर्क बनाये रखेगा। इस कार्य को करने के लिये पुलिस कण्ट्रोल रूम को सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, प्राइवेट एम्बुलेन्स ओनर व एम्बुलेन्स चालक आदि के फोन/मोबाइल नम्बर का अद्यावधिक रिकार्ड रखना होगा।

(v) पुलिस कण्ट्रोल रूम में 'गोल्डेन आवर ट्रामा केयर' रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में दुर्घटनाओं से सम्बन्धित विवरण, घायलों को दी गई सेवा का विवरण तथा सूचना मिलने के समय और घटनास्थल पर सहायता हेतु एम्बुलेन्स या अन्य वाहन पहुँचने के समय के अन्तर के आधार पर रिस्पान्स टाइम लिखा जायेगा।

(vi) इस प्रोजेक्ट के सभी भागीदारों और पुलिस कर्मियों/पुलिस अधिकारियों की जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक माह एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिये, जिसमें इस प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के लिये विचार-विमर्श किया जाय।

(vii) उपरोक्त प्रोजेक्ट किसी भी तरह से 108 एम्बुलेन्स सेवा का प्रतिद्वन्दी नहीं है, बल्कि सहयोगी है। यह जन सहभागिता और पुलिस के सशक्त संचार तन्त्र को मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम से कम करने का प्रयास है।

अनुरोध है कि कृपया आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों व थाना प्रभारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपर्युक्त योजना को क्रियान्वित करायें तथा एक माह बाद इसके परिणाम व सुझाव से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

8.5.16.

(जावीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (नाम से)
<u>प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश</u>

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर पर अनुश्रवण करके अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

8.5.16.

(जावीद अहमद)

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/
परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक (नाम से)
<u>उत्तर प्रदेश।</u>